संलग्नक क्र.5 (01)

मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल ट्रीटमेंट फेसीलिटी) ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 116/1, कुल एरिया–0.4062 हेक्टेयर (1 एकड़) में नवीन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस–100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता–100 किलोग्राम प्रतिबैच एवं शेडर क्षमता–100 किलोग्राम प्रतिघण्टा की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई **दिनांक 11 अगस्त 2021 का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार, मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल ट्रीटमेंट फेसीलिटी) ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 116/1, कुल एरिया–0.4062 हेक्टेयर (1 एकड़) में नवीन बॉयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस–100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता–100 किलोग्राम प्रतिबैच एवं शेडर क्षमता–100 किलोग्राम प्रतिघण्टा के स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु **लोक सुनवाई दिनांक 11.08.2021, दिन–बुधवार, समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–बंजारी मंदिर के समीप का स्थल, ग्राम–तराईमाल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)** में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़, की अध्यक्षता में लोकसुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम पीठासीन अधिकारी द्वारा उपस्थित प्रभावित परिवारों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मिडिया के लोगो का स्वागत करते हुये जन सुनवाई के संबंध में आम जनता को संक्षिप्त में जानकारी देने हेतु क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी को निर्देशित किया। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी, साथ ही कोविड 19 के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने, हेण्डवाश अथवा सेनेटाईजर का उपयोग किये जाने, मास्क पहनने एवं थर्मल स्केनिंग किये जाने की जानकारी दी गई। पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपनी के प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार को प्रोजेक्ट की जानकारी, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, रोकथाम के उपाय तथा आवश्यक मुद्दे से आम जनता को विस्तार से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सुनवाई में कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना के प्रस्तुतिकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम मैं देवल नायक यह विधि एक प्रकार की डीप बरियल विधि है। जैव चिकित्सा का वैधानिक तरीके से निपटान किया जायेगा। परियोजना भूमि एक सरकारी भूमि हैं यह परियोजना खसरा क्रमांक 116/1, कुल एरिया–0.4062 हेक्टेयर (1 एकड़) में नवीन बॉयो मेडिक वेस्ट ट्रीटमेंट फेसीलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना इंडक्शन प्लाज्मा

पायरोलाईसिस–100 किलोग्राम प्रतिघण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता–100 किलोग्राम प्रतिबैच एवं शेडर क्षमता–100 किलोग्राम प्रतिघण्डा हेतु प्रस्तावित है। यहा चिकित्सा अपशिष्ट का अलग–अलग निपटान किया जावेगा, लाल कचरे को निपटान यिा जायेगा। चिमनी भी लगाया जायेगा जिससे हवा में प्रदूषण कम होगा। इंसुलेटर को कोई भी फ्यूल यूज नहीं होगा ना ही कोयले का उपयोग होगा। उत्सर्जन सी.पी.सी.बी. के निर्धारित मानको के अनुसार रखा जायेगा। इससे जो गंदा पानी निकलेगा उसे ई.टी.पी. में उपचारित किया जायेगा। सेटलिंग टैंक का भी निर्माण किया जायेगा एवं ट्रीटमेंट किया हुआ पानी युज किया जायेगा। ये फेसेलिटी में प्रदूष्ज्ञण नही ोगा और जो भी उसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जायेगा। पूंजीपथरा गांव में वर्षा जल संग्रहण के लिये 5.50 लाख का प्रावधान किया गया है एवं वृक्षारोण हेतु भी किया गया है। पर्यावरण प्रबंधन के लिये 32.9 लाख का प्रावधान किया गया है। मौसम की निगरानी के लिये वायु का वेग एवं दिश नापी गई थी जिसके लिये सी.पी.सी.बी. की जो निर्धारित मानक है उससे कम पाया गया। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिये चिमनी की उचाई 30 मीटर रखी गई है। ग्राउण्ड वाटर के लिये 8 जगहों पर सैम्पल लिये गये थ। 10 के.एल.डी. का ई.टी.पी. लगाया जायेगा और ट्रीटमेंट किया हुआ पानी युज किया जावेगा। जमीन पर पानी का रिसाव नहीं किया जावेगा पाईप लाईन के माध्यम से किया जावेगा। ध्वनि प्रदूष्ज्ञण के लिये भी डाटा कलेक्ट किया गया है। पर्यावरण निगरानी के लिये भी प्रावधान किया गया है। जो सी.पी.सी.बी. के गाईडलाईन से किया जावेगा। भू–जल का भी सैम्पलिंग किया जावेगा अध्ययन क्षेत्र में परियोजना से कोई भी प्रभावित नहीं होगा। धन्यवाद।

तदोपरांत पीठासीन अधिकारी द्वारा परियोजना से प्रभावित ग्रामीणजनों/परिवार, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, जन प्रतिनिधियों, एन.जी.ओ. के पदाधिकारियों, समुदायिक संस्थानों, पत्रकारगणों तथा जन सामान्य से अनुरोध किया कि वे परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव, जनहित से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर अपना सुझाव, विचार, आपत्तियां अन्य कोई तथ्य लिखित या मौखिक में प्रस्तुत करना चाहते है तो सादर आमंत्रित है। यहा सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई जा रही है।

आपके द्वारा रखे गये तथ्यों, वक्तव्यों/बातों के अभिलेखन की कार्यवाही की जायेगी जिसे अंत में पढ़कर सुनाया जायेगा तथा आपसे प्राप्त सुझाव, आपत्ति तथा ज्वलंत मुद्दों पर प्रोजेक्ट हेड तथा पर्यावरण सलाहकार द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक स्पष्टीकरण भी दिया जायेगा। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जायेगी, पुनः अनुरोध किया कि आप जो भी विचार, सुझाव, आपत्ति रखे संक्षिप्त, सारगर्भित तथा तथ्यात्मक रखें ताकि सभी कोई सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिले तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 500–600 लोगों का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 103 लोगों ने हस्ताक्षर किये। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जो निम्नानुसार है –

सर्व श्रीमती/सुश्री/श्री –

1. सरोजनी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

2. वंदना सिदार – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
3. रजनी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
4. सोनबाई – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
5. राधा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
6. परमिला, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
7. भगवती, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
8. तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
9. कैलाश गुप्ता, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
10. अविनाश, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
11. राधेलाल, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
12. उसित लाल, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
13. राजू, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
14. नमक लाल, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
15. उमेश, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
16. सधाई बाई –
17. गायत्री, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
18. मोती, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
19. रूपाबाई, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
20. निमा, पूंजीपथरा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
21. रमा, पूंजीपथरा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
22. तीजराम – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
23. संजय – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
24. लीला – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
25. लक्ष्मी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
26. संतराम, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
27. सनत – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
28. दुधलाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूं।
29. कालेश्वर सारथी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
30. सुखरी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

89. आनंद – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

90. सूरज, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

91. निरज, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

92. राजन – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

93. राधेलाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

94. बिहारी, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

95. आत्माराम – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

96. प्रभात, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

97. घनश्याम, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

98. योगेश्वर, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

99. ज्ञानदास, पूंजीपथरा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

100. जय कुमार, पूंजीपथरा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

101. विजय – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

102. रामश्याम डनसेना, गेरवानी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ। ई.आई.ए. रिपोर्ट में लिखा गया है कि यहा बनने वाले प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास जंगली जानवर नहीं है जबकि ठीक इसके उलटे है। परियोजना स्थल से मात्र 200 मीटर की दुरी पर तमनार रोड पर वन विभाग द्वारा 02 बड़े–बड़े होर्डिंग लगाये गये है जिसमें जंगली जानवर स्वतंत्र विचरण करते है कृपया गाड़ी धीरे चलाये या वन विभाग द्वारा जो बोर्ड लगाये गये है वो गलत है कि आपके द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट दी गई है वो गलत है कृपया इसका उल्लेख करे और इसका जवाब दे। इस क्षेत्र में हाथी आने–जाने के लिये जो धरमजयगढ़ से बंगुरसिया तक की कारीडोर है उसमें इस क्षेत्र से हाथी आना–जाना करते है इसमें हाथी वाच टावर के रूप में ठीक परियोजना क्षेत्र से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर बड़े–बड़े हाथी वाच टॉवर बनाये गये है और इसका पुख्ता उदाहरण जब भी हाथी का इस क्षेत्र में दौरा होता है तो हमेशा नुकशान सामारूमा को होता है और उनके घरो को तोड़ दिया जाता है और सामारूमा के पास जो जंगल क्षेत्र है वहा से होकर हाथी गुजरते है क्या वह रिपोर्ट में दर्ज है कि इस क्षेत्र में जंगली जानवर नहीं है जो भी ई. आई.ए. रिपोर्ट बनाये है सुधार करें या वन विभाग द्वारा सुधार करे कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार के हाथी वन क्षेत्र में आना–जाना नहीं करते है ना ही वहा स्वतंत्र विचरण करते है। यह क्षेत्र पूर्व में भी प्लांट लगने से प्रदूषित हो गये है यहा का जल, जंगल, जमीन, पानी यहा की उर्वरा क्षेत्र भी खतम हो गयी है महोदय से मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र को नियंत्रण घोषित कर दिया जाये और यहा पर आप चाहे जितने भी प्लांट लगाये तथा यहा के रहवासियों को अन्य जगह विस्थापित कर दिया जाये। इस क्षेत्र में ओ.पी. जिंदल

यूनिवर्सिटी लगा हुआ है उसमें सारे छात्र--छात्रायें पढ़ रहे है और उसके पास छात्रावास भी है छात्र-छात्रायें रहती है उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा इसका उल्लेख ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है। प्लांट से निकलने वाले राख को कहा पर डिस्पोजल करेंगे, कहा पर खपत करेंगे इसका भी उल्लेख कही पर नहीं है। मैं आज की इस जनसुनवाई का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ।

103. प्रेमशंकर, मिलुपारा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो-सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

104. अशोक, मिलुपारा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो-सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

105. उद्धव सिंह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो--सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

106. नत्थु – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो-सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

107. बसंत राठिया – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो-सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

108. सुखसागर – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो-सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

109. जुनुक – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो--सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

110. प्रकाश त्रिपाठी, रायगढ़ – यहा जनसुनवाईयां जो हमारे यहा आये दिन होती रहती है जहा तक मुझे जानकारी है ये एक दिखावा मात्र है जो इनको करना है, लगाना है, जो उद्योग लगाना है, बढ़ाना है वो इनका पहले से फिक्स है उसमें हमारे महोदय लोग भी सामिल हो या ना हो उसकी मुझे जानकारी नहीं है लेकिन आज तक का कोई भी रिकार्ड हमारे महोदय ही बता दे की कोई भी जनसुनवाई निरस्त हुई हो। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ढकोसला करके एक सामान्य व्यक्तियों का, सामान्य नागरिको का शोषण हो रहा है क्योंकि वह आकर के, अपना काम-धाम छोड़ कर के इस मैदान में अपना पेट्रोल लगा कर के यहा आते है और दिनभर का समय व्यतित करते है और जो कुछ भी कहते है उसका अर्थ तो निकलता नहीं है। इसलिये श्रीमान् से निवेदन है कि यह ढकोसलाबाजी बंद करके अपना गुप्त रूप से ही आफिस में बैठ कर के ये सब प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाये जिससे की भविष्य में क्षेत्र में जनता आक्रोशित होकर कोई अनुचित कदम ना उठाये और भविष्य में कोई बहुत बड़ी दुर्घटनाओं का शिकार क्षेत्र की जनता ना बने। मेरा यह निवेदन है कि सरकार के कर्मचारियों की ड्यूटी 04 घंटा या अधिकतम 05 घंटा, महिने में मुशकिल से 20 दिन तो ये प्राईवेट कार्य जो कर रहे है वे मजदुर उनकी महिने में 35 दिन ड्यूटी, 35 दिन कैसे होती है बताता हूँ। तथा 12 से 16 घंटा ड्यूटी तो ये क्या मानव अधिकार का शोषण नहीं हो रहा है महोदय क्या इस बात को कभी भी ध्यान नहीं देंगे। क्या उनकी नजर में वो गरीब, मजदुर एक मजदुर नहीं है, एक आम इन्सान नहीं है क्या, क्या वे केवल उद्योगपतियों को अरबो से खरबो, खरबो से नील, शंख बनाने के लिये एक मशीनरी है, क्या उनकी जींदगी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 12 घंटा या 14 घंटा या 16 घंटा ड्यूटी तो वो अपने जीवन के लिये या अपने परिवार के लिये कैसे जी पायेगा इस सवाल का मुझे समझाईश देंगे तो आप लोगो का मैं बहुत आभारी रहुंगा। और इस विषय पर मैं क्षेत्र के जो समस्त सामाजिक कार्यकर्ता है,

प्रबुद्धजन है, या संवेदनशील महोदय लोग है, कर्मचारी प्रशासन के लोग है उनसे निवेदन करता हूँ कि इस तरह के शोषण को अत्यंत शीघ्र से शीघ्र बंद करके और इन कंपनी के मालिको के उपर विशेष कार्यवाही करते हुये इनके उपर एफ.आई.आर. दर्ज होना चाहिये। इस क्षेत्र में कोई भी कंपनी का विस्तार और नई लगने वाले का पूरजोर विरोध करता हूँ। यह हमारा क्षेत्र जंगल सजा हुआ क्षेत्र था यहा पर बहुत ही सुंदर जंगल हुआ करता था पुराने जमाने में पुरा जंगल का विनाश हो चुका है और वो जंगल हुआ करता था तो यहा अनेको प्रकार के जीव, जन्तु, वन्यप्राणी होते थे आज कही दिखाई नहीं दे रहे है तो क्या हम किसी एक व्यक्ति को अरबो, खरबो बनाने के लिये हम समस्त पर्यावरण को विनाश करके रख देंगे क्या। जैसा की मैं सुना हूँ कि ये कंपनी लग रही है यह मेडिकल से संबंधित जो डिस्पोजल चिजे है यहा पर जला करके नष्ट करेंगे। तो महोदय से मैं पुछ सकता हूँ कि इससे निलने वाली जो गैस होगी उससे इस क्षेत्र की क्या पुरे प्रदेश की जनता पर क्या असर पडेगा मेरा दावा तो यह है कि कैंसर से भी भयानक बिमारियों से ग्रषित यहा के क्षेत्र की जनता होगी, उसका जवाबदार कौन होगा। आज अभी इतनी फैक्ट्रीया बनी हुई है उनमें अपने इस क्षेत्र के लोग ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, टी.बी., दमा और खुजली के 90 प्रतिशत लोग पिड़ित है। हमारे शासन–प्रशासन ने या उद्योगपतियों ने इन जनता के लिये क्या किया है उसका जवाब भी महोदय से चाहिये। हमारे यहा इन जंगलो से वनोशधी प्राप्त होती थी जिनसे की यहा के गरीब परिवार के लोग है ग्रामीण आदिवासी भाई लोग है इनसे इनका साल भर का घर चलता था। महुआ, तेंदु; तेंदु पत्ता, डोरी और अन्य प्रकार के वनो से रस्सी बनती थी, पत्ते तोड़कर पत्ता–दोना बनता था इस सब चिलो का आवला, हर्रा ये अत्यंत जीवन दायिनी औषधिया कही पर भी 20–50 किलोमीटर के इलाके में महोदय लोग खोज कर बता दे कि यहा पर पेड़ लगा हुआ है तो कंपनी का विकास करे। वरना मैं तो कहता हूँ कि जितनी भी कंपनियां है उनको भी बंद कर दे। क्योंकि ये जितनी भी कंपनियां है ना तो कोई पर्यावरण का ध्यान दे रहा है, ना जंगल का ध्यान दे रहा है। आये दिन अखबारों में छपता जरूर है कि आज संस्थान द्वारा 01 लाख पौधे लगाये गये या आज पर्यावरण दिवस मनाया गया और फोटो जरूर खीचती है और तीस्रे दिन ना कोई पौधा रहता है ना ही पर्यावरण। इसलिये श्रीमान् से निवेदन है कि इन फैक्ट्रियों के उपर अपराधिक दंड लगाते हुये कानुनी कार्यवाही किया जावे। हमारा यह क्षेत्र कृषि का क्षेत्र था और कृषि का सबसे बड़ा यही गांव जो हमारा तराईमाल है। सब्जी का रायगढ़ जिले का टाप का था महोदय से निवेदन है कि किसी को भी भेज कर तराईमाल में पता कर लिया जाये कि एक किलो सब्जी है क्या, और एक किलो सब्जी है भी तो खाने के लायक कितने प्रयोग में है तो हमारे कृषि का विनाश हुआ, हमारे जो खेतीहर मजदुर थे जो यहा के जो किसान थे उनकी आजीवनी खत्म हो गई, मजदुर जो मजदुरी करके अपने जीवन का यापन करते थे जो खत्म हो गया। कृषि का समुल विनाश हो गया तो क्या हम ये पत्थर, लोहा, कंकड़ खायेंगे कल इसका भी जवाब मुझे महोदय से चाहिये। हमारे क्षेत्र को पहला जर्दन बोलते थे

बहला जमीन का मतलब है 12 महिना 24 घंटा क्षेत्र में पानी रहता था इस इलाके में उसमें हमारी दो फसली धान होती थी और जिसकी 100–150 रूपये किलो चावल की किमत है वो खेती यहा पर होती थी आज हमारे 20–50 किलोमीटर इलाके में एक भी उत्पादन महोदय बता दे तो और फैक्ट्री लगा दे, वरना इस सभी कंपनियों को तुरंत कार्यवाही करते हुये कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया जाये। मैं कोई से में पढ़ा था कि कोई देश का पृथ्वी का पानी एकदम ड्राई हो चुका है 250–300 फुट तक पानी नहीं आता है। आने वाली पीढ़ी को भी पानी नहीं मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से जल का शोषण इन कंपनियों के द्वारा अनाधिकृत रूप से किया जा रहा है शासन कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता लोग इसका रिपोर्ट दर्ज कराते है पर्यावरण विभाग में लिखित भी देते है कुछ होता नहीं है। तो महोदय से निवेदन है कि आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिये जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिये इनके द्वारा जो अवैध तरीके से शोषण हो रहा है उस पर भी दण्डात्मक रूप से कार्यवाही करते हुये इन पर अपराधिक केस दर्ज किया जाये। इन सब के चलते सामाजिक असमानता, हमारा भारत सरकार या प्रदेश की सरकार समाजिक सामानता रखने के लिये अरबो–खरबो रूपये खर्च कर रही है लेकिन ऐसे उद्योगो को बढ़ावा देकर हम क्षेत्र में सामाजिक असमानता का विकल्प खुले आम छोड़ दे रहे है। क्योंकि जो क्षेत्रीय लोग है ना उनको काम मिलता, जो किसान लोग है उनको मजदुर नहीं मिलता, मजदुर भी मिल गया तो खेती नहीं होती तो दिना–दिन जो लोकल लोग है महोदय से सर्वे करा लिया जाये मेरी टीम सर्वे कर चुकी है कि जो यहा के प्रापर मूल निवासी है वो 01 रूपये से 25 पैसे और 10 पैसे में आ चुके है और जो बाहर से आये हुये लोग है वो एक रूपये से अरबपति हो चुके है तो ये सामाजिक असमानता हो रही है और इसके चलते क्षेत्र की जो सास्कृतिक धरोहर थी छत्तीसगढ़िया जो सांस्कृतिक धरोहर थी उसका पूर्ण रूप से विनाश हो चुका है। अभी मैं देख रहा था कि लोग आदिवासी दिवस मना रहे थे, सीटी में घुम–घुम कर आदिवासी दिवस मना रहे थे, आदिवासियों को संरक्षित करने के लिये तो उन आदिवासी भाईयों से मेरा निवेदन है कि वे इस क्षेत्र में आये और यहा के आदिवासी भाईयों की स्थिति को देखे और उस स्थिति को सुधारने के लिये प्रयास करें। आदिवासी लोग समुल नष्ट होने की कगार पर है महोदय से निवेदन है कि उनकी स्थिति पर ध्यान देते हुये इन समस्त फैक्ट्रियों को दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की कृपा की जावे। ये लोग बोलते है कि हम फैक्ट्री लगा कर इस क्षेत्र का विकास करेंगे तो विकास किसी चिज का कर रहे है नशा का विकास। यहा अन्य राज्यो से आये अपराधिक लोग जो अपराधिक तत्व के लोग है जिनके उपर ना जाने कितने अपराधिक केस लगे हुये है वो यहा आकर ठेकेदारी और कंपनियों के बड़े–बड़े काम कर रहे है और वो हमारे क्षेत्र के गरीब जनता को नसे का आदि बनाकर उनके शारिरिक–मानसिक और आर्थिक हर तरह का शोषण किया जा रहा है। महोदय से निवेदन है कि नशा के विकास को भी ध्यान देते हुये इन फैक्ट्रियों पर अंकुश लगाने की अतिआवश्यकता है अन्यथा एक दिन यह क्षेत्र मानव विहिन हो जावेगा।

अपराधिक्ता का विकास, इन फैक्ट्रियों ने क्या दिया है विकास के नाम पर अपराधिकरण का विकास दिया है। हमारे इस क्षेत्र में एक जगाने में एसा था जैसा हम सुनते है शनी सिग्नापुर में ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहा दरवाजे नहीं होते है तो आज से 25 साल पहले 80 प्रतिशत लोगो के घरो में ताला और दरवाजे भी नहीं होते थे अगर ये बात गलत है तो मेरे उपर अपराधिक केस दर्ज करके मुझे हिरासत में लिया जाये। आज लुट, डकैती और महिलाओं का शोषण की जो भरमार आई है ये फैक्ट्रियों के विकास का नतीजा है तौ हम पैसे कां वो भी एक व्यक्ति के विकास के लिये समुल जनता का विनाष कर देंगे या बचाव करेंगे ये महोदय के उपर मैं छोड़ता हूँ। आज से 25 साल पहले अगर रायगढ़ से घरघोड़ा के बीच में कभी एक पहिया भी रोड से निचे उतर जाता था तो 10–20 गांव की जनता उसको देखने जाती थी की वहा आज दुर्घटना हुई है और इस पूंजीपथरा से रायगढ़ तक आज ऐसा कोई दिन नहीं है या हप्ता नहीं है कि जिसमें एक या दो व्यवित ना मरते हो आज तक इस पर कुछ किया गया नहीं है ना ही सरकार के द्वारा ना ही फैक्ट्री के द्वारा अगर किया गया है तो उसका जवाब दें, वरना जितनी भी दुर्घटनाये हुई है उनका अपराधिक केस इन फैक्ट्रियों पर किया जाये और उनसे जो संबंधित व्यक्ति है उनके परिवार के भरण–पोषण और उनके आय–व्यय की व्यवस्था ये फैक्ट्री लोग करें। रोड की हालत देख ही रहे है आप लोगो को पता नहीं चलता होगा क्योंकि आप लोग लक्जरी कारो में आते है। कभी एक बार मोटर–साईकल में चल कर किसी कर्मचारी को पूंजीपथरा से रायगढ़ भेज दीजिये और गीता में हाथ रखकर बता दे कि पूंजीपथरा चौक से रायगढ़ के ढिमरापुर चौक पहुचते तक वह कितने बार मरा है वह जाते तक 01 घंटा के अंदर अपनी आत्मा को कितने बार मरा है वो ना कह दे की मैं बीसो बार मरा हूँ तो मेरे उपर अपराधिक केस दर्ज किया जाये वरना इन फैक्ट्रियों के उपर अपराधिक केस दर्ज करते हुये इन पर तत्काल कानुनी कार्यवाही करते हुये इनको सजा दिया जावे। हमारा यह क्षेत्र सुरु से गरीब था और वनोषधी पर ही जीवन व्यतित करता था इन सब चिजो का विनाश हो जाने के कारण आज हमारे जो लोकल लोग है वे भुखो मरने की स्थिति है। धन्य है गवर्नमेंट सरकार का जो चावल दे रही है। अगर चावल हर परिवार को नहीं मिलता तो इन फैक्ट्रियों के विकास के चलते हमारे इस क्षेत्र की 90 प्रतिशत जनता भुखों मरती इस बात का मैं पुख्ता प्रमाण देने को तैयार हूँ। कंपनी के चलते हमारे क्षेत्र के लोगो का शोषण किस तरह होता है मैं बता देता हूँ। हमारे क्षेत्र का एक लड़का कंपनी में काम करता है तो 02–04–10 लोगो के दबाव में आकर उसे नौकरी में रख लेते है और 12 घंटे उसे हड्डी तोड़ कर काम करवाते है और वही पर जो बाहर से आया हुआ है उससे 08 घंटा काम करवाते है और उसको ज्यादा पेमेंट देते है। हमको 1000 देते है तो उनको 12000–18000 देते है और हमारे क्षेत्र के लोगो को 08–09 से ज्यादा पैसा नहीं देते और वो भी 12–14 घंटे काम कराने के बाद भी वहा का इंचार्ज बोलता है आपका दूसरा रिलिवर नहीं है क्या आपको 12 घंटे और ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर वो नौकरी नहीं करता तो उसके बच्चे भुखो मरेंगे अगर 12 घंटे

और ड्यूटी करता है तो वह मानसिक रूप से पागल हो रहा है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा मैं तो महोदय से निवेदन करता हूँ कि इसकी ससक्त जाँच करते हुये उसको मानव अधिकार के रूप में देखते हुये इसकी कार्यवाही करना अतिआवश्यक है। इस क्षेत्र में जो मजदुर वर्ग के लोग है, प्रबुद्ध जन लोग है, हमारे नेता भाई लोग है उनको भी इस मंच के माध्यम से आगाह करता हूँ कि इस लड़ाई पर जो मानव का शोषण हो रहा है उस पर इन फैक्ट्रियों के विरूद्ध कार्यवाही करें। उनकी पिड़ा मेरे से देखी नहीं जा रही है। कंपनी के मालिक के किसी एक बेटे को मेरे साथ 08 घंटे काम करा दिया जाये अगर वह दूसरे दिन उठकर काम में वापस आ जाये तो उसको भी मानने के लिये तैयार हूँ। श्रीमान् से निवेदन है कि आज की यह लोकसुनवाई को पूर्ण रूप से खारिज किया जाये।

111. गितेश्वरी, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
112. सुमन, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
113. फुलदेवी, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
114. अनिता, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
115. सावित्री – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
116. राजकुमारी, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
117. सरिता, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
118. ज्योति, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
119. मीरा, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
120. लक्ष्मी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
121. रूकमणी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
122. जलंधर – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
123. कन्हाई, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
124. बल्लभ – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
125. हेमलाल, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
126. डेविड – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
127. गजेन्द्र, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
128. सतपाल, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
129. बलराम, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
130. सुखो, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
131. आशिष, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

132. विश्वकर्मा, पूंजीपथरा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

133. लक्ष्मी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

134. कृति, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

135. पैकरा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

136. उमा, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

137. राधा, सामारूमा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

138. दिव्या, सामारूमा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

139. खसबु, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

140. अंजली, सामारूमा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

141. अंकिता, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

142. निषी, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

143. खुशी, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

144. उर्मिला, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

145. गोमती – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

146. करमसिंह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

147. गणेश, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

148. अमित प्रधान – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

149. बबलू – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

150. सुजीत, मिलुपारा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

151. बिनु – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

152. राजू, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

153. सोनु, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

154. हेमु, पूंजीपथरा – प्लांट कहां बैठ रहा है पता नहीं।

155. बैदवास – मुआवजा नहीं मिला है। समर्थन नहीं है।

156. अनर – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

157. अरविंद – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

158. हेमराजम – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

159. मोहन – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का समर्थन करता हूँ।

160. चंदू – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

161. उराव – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

162. जगदीश, पूंजीपथरा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

163. नर्मदा, सामारूमा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

164. सुकांती, सामारूमा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

165. ताला, सामारूमा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

166. मालिनी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

167. रजनी, सामारूमा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

168. मदन, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

169. मितकुमार – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

170. मोहन लाल, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

171. देवी बाई, पूंजीपथरा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

172. कन्हैया लाल, तुमीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

173. मितेश, रायगढ – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

174. रेश्मा, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

175. सविता, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

176. सेतवति – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

177. भगवानों – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।

178. अमित – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

179. नितेश, गेरवानी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

180. जयलाल, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

181. गोवर्धन, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

182. रामीराम, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

183. मुकेश, छर्राटांगर – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

184. चंद्रसेन, छर्राटांगर – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

185. सरपंच, छर्राटांगर – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

186. श्रीकांत साहिब – जमीन को नुकसान हो रहा है। पूंजीपथरा, तुमीडीह, तराईमाल, गेरवानी में जंगल को नष्ट कर दिये और जितने जंगल को नष्ट कर दिये उतने पैसा आप नहीं लगाते है। अपने क्षेत्र में जो व्यक्ति मजदूर है वो प्लांट में काम करने के लिये जाता है लेकिन आप लोग उस व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं देते है। बाहर से आये लोगो को मजदूरी करते है और छत्तीसगढ़ के मजदूरो को आप निकाल देते

है। यह गांव का जमीन है यहा का जल, जंगल, जमीन हमारा है और बाहर के आदमी आते है और हमको निकाल देते है। हमको दुख होता है। हम लोग जंगल से चार, तेंदु, महुआ खाते है वो सब को नष्ट कर रहे है। यहा बहुत प्रदूषण हो रहा है, दमा, खाशी हो रहा है ये कोरोना के कारण नहीं प्रदूषण के कारण हो रहा है, ये कंपनी के माध्यम से हो रहा है। यहा के प्लांट में काम करके वह थक जा रहा है यहां कंपनी बैठा कर आप लोग यहा के व्यक्ति को नष्ट कर रहे है। जितने भी पूंजीपथरा, तराईमाल, गेरवानी के जंगल में पौधे को नष्ट किया गया है मैं प्रशासन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ उतने पौधा अब तक नहीं लगाये है आप लोग। जितने भी साल, महुआ को नष्ट किये है जामुन का वृक्ष नहीं लगा है, कोसम का वृक्ष नहीं लगा है आपने ये सब को नष्ट कर दिया है। जंगल से जो मिलता है महुआ, चार, तेंदु, चिरोंजी उसको नष्ट कर दिये है। मैं इस जनुसनवाई का पूर्णजोर विरोध करता हूँ।

187. दयाराम, धनुवारपारा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
188. सिसका एक्का, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
189. गंगा, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
190. मंगली बाई, धनुवारपारा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
191. किसन साहू, तराईमाल – विरोध के बाद सभी प्लांट तमनार में आ रहा है जिले में क्यों नहीं आ रहा है। पूर्ण रूप से मैं विरोध करता हूँ।
192. आत्माराम, देलारी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
193. मुकेश, गेरवानी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
194. विनोद कुमार डनसेना, गेरवानी – एक तरफ हम हमारे क्षेत्र को शिक्षा का हब बनाने के लिये ओ.पी.जे.आई.टी. जैसे कॉलेज का निर्माण किये हुये है और शिक्षा का हब बनाना चाहते है। वहा प्रशासन अपनी मनमानी से इसका चुनाव बिना किसी ग्रामसभा की सहमति से इस ट्रीटमेंट प्लांट के लिये कर रहा है यह अवैध है मैं इस जनसुनवाई का वर्तमान परियोजना का विरोध करता हूँ। हमारी आधी जमीन आरक्षित वन में है, संरक्षित वन में है और 25 प्रतिशत जो सड़क, बिजली आदि के लिये है केन्द्र खोले जा रहे है। आने वाले समय में अन्य परियोजनाओं के लिये, लाभदायक परियोजनाओं के लिये हमारे पास कोई चिज बची हुई ही नहीं है। इस प्रकार अन्य स्थलों पर अन्य जगहो पर हमने देखा कि हमारे वर्तमान सांसद, उप सांसद जो 05 बार सांसद रह चुके है वो केवल एक छोटे से प्लांट के लिये विरोध कर रहे है वहा जनसुनवाई को होने नहीं दिया जा रहा है और हमारे क्षेत्र में हमारे साथ कैसे व्यवहार कर रहे है। हमारे यहा कई प्रकार के प्लांट चल रहे है और उनको लगाने के लिये प्रशासन द्वारा अनुमति दी जा रही है जबकि जशपुर क्षेत्र में जो सांसद है एक भी उद्योग लगाने नहीं दे रहे है और हमारे यहा कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। आज पुरी तरह प्रभावित है क्षेत्र तब उनको समझ में आ रहा है कि हमको कितना नुकसान है इसलिये यहा

आकर लोग विरोध कर रहे है। हमारा पुरा क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। लोगो की भावना यह होती है कि जिला प्रशासन के जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट है वो यहा करने की मंशा बनी हुई है। हमे इस प्लांट से कोई रोजगार प्राप्त होने वाला नहीं है। आज तक जितने भी उद्योग लगे है उसमें कोई भी लोकल व्यक्ति को कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है। और इस प्रस्तावित परियोजना जब तक संचालित होगी इसमें लोगो को छोटा–मोटा काम मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा और ये जो परियोजना स्थल पर होनी है परियोजना अच्छी है लेकिन स्थल अच्छा नहीं है। हम स्थल का विरोध करने आये है और यह हमारे क्षेत्र में नहीं लगना चाहिये कही और लगवाना चाहिये। हर बार हमारे 72वां संविधान संशोधन के अनुसार हमारे स्थानिय स्वशासन का इस प्रकार उपेक्षा हो रही है हमारे लोगो को किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं देता है उद्योग को देते है और इनकी उपेक्षा होती है। इसलिये मैं अधिकांश उद्योग का विरोध करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्लांट कही और दूसरे जगह लगाया जावे यह वर्तमान परियोजना यहा स्थापित नहीं होना चाहिये। मैं इस परियोजना का विरोध करता हूँ।

195. आनंद, गेरवानी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
196. आशिष, गेरवानी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
197. बसंत, गेरवानी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
198. सचिन – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
199. नंदकुमार, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
200. विवेक, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
201. देवप्रकाश – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
202. नंदकुमार – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
203. राजकुमार, देलारी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
204. विमा, देलारी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
205. अर्जुन, तुनीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
206. फुलसाय, तुनीडीह – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
207. अर्जुन शर्मा – विरोध करता हूँ, हमारे पास एक्सप्रियेंस होते हुये भी नौकरी नहीं देते है। तराईमाल वालो को नौकरी क्यों नहीं देते है। ऐसे कंपनी का समर्थन करने का क्या मतलब है। इस कंपनी का मैं विरोध करता हूँ।
208. हरिशंकर गुप्ता, उज्जवलपुर – मैं इस कंपनी का भरपुर विरोध करने के लिये आया हूँ और साथ–साथ में यहा के अधिकारी और यहा के कलेक्टर को भी मैं भरपुर विरोध करने के लिये आया हूँ क्योंकि आज भारत देश में पर्यावरण इतना ज्यादा फैल गया है क्षमा नहीं और आज जनसुनवाई करना सही नहीं है। आज

तमनार ब्लॉक में इतना ज्यादा प्रदूषण फैल गया है आप सब टू व्हीलर में जाइये देखे आज तमनार में घर–घर देखीये इतना ज्यादा प्रदूषण फैला है कि आप जायेंगे तो पुरा धुल हो जायेगा। आज यहा का जो सी.एस.आर. का पैसा है उसको रायपुर में खर्च किया जा रहा है। हम लोग यहा पर धुल चाट रहे है और वहा विकास हो रहा है यहा सिर्फ विकास हो रहा है तो यहा के नेता और अधिकारी का विकास हो रहा है और किसी का विकास नहीं हो रहा है आज तमनार ब्लॉक में इतना ज्यादा कंपनिया और फैक्ट्रीया है आज तमनार ब्लॉक चकाचक दिखता रोड चकाचक दिखता, स्वास्थ्य चकाचक दिखता, शिक्षा चकाचक दिखता, रोड, पानी सब चकाचक होता लेकिन आज ये कंपनी कुछ नहीं कर रहे है। इसलिये मैं बोलता हूँ कब तक जीओगे, शासन और प्रशासन के आड़ में एक दिन तुम्हे ये बेच देंगे कंपनी के हाथ में। इनका भरोसा करना छोड़ो ये आपका मदद, सहयोग नहीं करेंगे, हम अपना अधिकार के लिये लड़ेंगे और जियेंगे। मैं इस कंपनी का विरोध करने के लिये आया हूँ और विरोध करता रहूंगा।

209. गोविंद सिह, लैलूंगा – आज यहा कितनी कलेक्टर और अधिकारी बैठे है और जनसुनवाई करवाये है मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि इतना प्रदूषण चल रहा है कम से कम देखना चाहिये खाली आते हो जनसुनवाई के लिये और करते कुछ नहीं हो ये बात गलत है। कंपनी आया है लोटा लेकर आया था और इस क्षेत्र में बैठा और लोगो को ललचा कर बैठ गया, यह पैसा कमाने के लिये आया है। यह एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, कंपनी का कोई जरूरत नहीं है बैठने का लेकिन जबरदस्ती शासन ने बैठा दिया कोई बात नहीं बैठ गया लेकिन हम उनके साथ रह गये लेकिन आज के बाद हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। विकास कुछ नहीं हो रहा है, जितने भी कंपनी बैठे है कही झाड़ नहीं लगाये है और कहते है कि नौकरी दे रहे है लेकिन नौकरी किसी को नहीं दे रहे है। बाहर के आदमी आकर पैसा ले रहे है और इधर के लोगो को कुछ नहीं दे रहा है। तो कम से कम हमारे क्षेत्र के कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिये लेकिन आज तक ध्यान नहीं दे रहे है जब से हम वैसे के वैसे ही है।

210. भोलोराम, मिलुपारा – कलेक्टर बोल रहे थे चार देंगे, तेंदु देंगे, नहीं दे रहे है। मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।

211. बुदुराम, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

212. चंद्रा, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

213. तिहारु, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

214. श्याम कुमार, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

215. सेवानिधि साहू – मैं एक कृषक परिवार से हूँ और मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ। मैं कंपनी का ऐसा विरोध करना चाहता हूँ कि जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिये जो भी अधिकारी यहा बैठे है अगर सक्षम है तो ऐसा व्यवस्था बनाये। अगर फटफटी में थोड़ा धुवा निकलता है तो पुलिस वाला जुरमाना ठोकता है,

300 से 500 बोलते है, कंपनी वालो से कितना जुरमाना लेते है कलेक्टर साहब बता दे। एक कंपनी से कितना धुआं निकलता है, कितना धुल निकलता है, कितना नुकशान होता है। लेकिन फटफटी वाले को रोकते है फटफटी में धुआ निकलता है तो कंपनी से कितना धुआ निकलता है मैं लोगो से पुछता हूँ इस बात का समर्थन है क्या? अगर कंपनी को चलाना चाहते है तो फटफटी को पहले बंद कर दिया जाये, या तो कंपनी का जुरमाना को बंद कर दिया जाये। हमारा शरीर का पानी बहता है नदी में, हमारे खाल का पानी जाता है नदी में उस पानी का कंपनी उपयोग कर रहा है और पानी के लिये सरकार हमे टैक्ट लगा रहा है, नल का टैक्स लगा रहा है जबकि हमारे शरीर से पानी निकला है और जाता है नदी पर और हमारे उपर टैक्स लगा रहा है और कंपनी के उपर क्या लगा रहा है। हमारे पैसे से घर बना लिया, नया रायपुर बनायेगा। हमारे गांव को देखे, हमारे क्षेत्र को देखे क्योंकि मैं इसी क्षेत्र का हूँ। मेरे घर के बोर का पानी जाता है राबो डेम पर, नवदुर्गा बोलता है मैं फलाना जगर बोर लगाया हूँ। कहा पर कितना बोर लगा है कभी कलेक्टर महोदय जाकर देखे है क्या कितना बोर लगा है? मैं कहता हूँ कि 70 से उपर बोर लगा हुआ है, लेकिन मैं किसान बोलुंगा कि खेत में बोर लगाउंगा तो बोलते है परमिशन लगेगा मैं कहा पर परमिशन लेने जाउ। मैं इस जनसुनवाई का विरोध करता हूँ।

216. नारायण, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
217. सिताराम – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
218. आत्माराम – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
219. सदानंद, तमनार – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
220. शिवकुमार – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
221. रामलाल, मिलुपारा – आज अदानी पैसा नहीं दिया है और मेरे जमीन को ले गया है।
222. शनिराम – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
223. जयंत बहिदार, रायगढ़ -- मैं इसका समर्थन करने नहीं आया हूँ। इसका ई.आई.ए. रिपोर्ट हिन्दी में भी प्रस्तुत किया गया है इंग्लिस के साथ तो बाकी के ई.आई.ए. रिपोर्ट को पहले भी जनसुनवाई हुये है वो हिन्दी में प्रस्तुत क्यों नहीं किया जाता है, अगली बार अंग्रेजी के साथ–साथ हिन्दी में भी होना चाहिये। आपने जो सिंघल इंटरप्राईजेस की जो जनसुनवाई सवा घंटे में खतम कर दी थी इसको 05 बजे तक ले जाया जाये, अगर ज्यादा आदमी हो और लोग बोलने के लिये तैयार हो तो रात भर चलेगा उसका कोई लिमिट नहीं है लेकिन न्यूनतम समय 05 बजे तक रखने का नियम है। ये जो परियोजना है, प्लांट है मेडिकल का बायो वेस्ट, चिकित्सा का अपशिष्ट है ये नष्ट करने के लिये जरूरी है हमारे जिले में इकाई का होना और वो यहा पर रखे, कही पर रखे जिले में होना चाहिये। उसमें परियोजना प्रस्तावक ने बताया है कि 75 किलोमीटर तक, हमारा जिला 90 से उपर किलोमीटर आता है बाकारुमा तक और बाकारुमा को

जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जो रायगढ़ जिले का है उसका अपशिष्ट है जो बायो मेडिकल का वो कहा होगा और कापी भी है जो 75 किलोमीटर से ज्यादा है, धरमजयगढ़ 75–76 किलोमीटर है ई.आई.ए. में इसकी बात नहीं है। जो रायगढ़ जिले के अस्पतालो का, क्लिनिक का जो बताया गया है कि एक प्रतिबेड जो रोज का है प्रतिदिन का 20 रूपये चार्ज लगेगा जो वेस्ट यहा पर नष्ट करेंगे और वो रायपुर में 06 रूपये है, रायगढ़ जिले के साथ क्यों अपराध कर रहे है आप लोग, और जो क्लिनिक है जहा बेड नहीं है जो डॉक्टर केवल चिकित्सा सलाह देते है रायगढ़ में, रायपुर में 1000 रूपये है हम इस परियोजना को मंजुर करेंगे परन्तु इन चिजो का यहा के अस्पताल, क्लिनिक आदि के उपर जो पक्षपात करेंगे अगर इसका फैसला अभी नहीं होगा तो मंजुरी मिलने के बाद उतना–उतना वशुली करेगा। ये मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने का जो प्लांट है, इकाई है इसका जरूरी है रायगढ़ जिले में परन्तु ये कही ऐसा तो साबित नहीं होगा की रायगढ़ में जितने कबाड़ी है उसका बाप बन जायेगा ये कबाड़ी बन कर। आप बोलेंगे कैसे कबाड़ी बनेगा, जैसे करते है ना प्लास्टिक की धुलाई, कॉच, लोहा, पन्नी को सॉफ–सफाई किये और रिसायक्लिंग प्लांट में भेज दिये, ऐसा तो नहीं करेगा ये कंपनी। ये ई.आई.ए. में है क्या, क्या आदेश में कही है। नहीं है फिर वही समस्या होगी ये बात को नोट किया जाये। अगर ये नष्ट करने वाला प्लांट बन रहा है तो कबाड़ी वाला धंधा बंद करे इस बात का भी ध्यान रखे। आपने जमीन का एग्रीमेंट किया है सी.एम.ओ. साहब है। जब सी.एम.ओ. साहब ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने लीज में लिया है जमीन तो उनको जवाब देना चाहिये, कहा है सी.एम.ओ. साहब। सी.एम.ओ. साहब ने एग्रीमेंट किया इस कंपनी के साथ वो दिसम्बर में किये है 17 दिसम्बर को 2020 में और ये ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाना चालु कर दिये उससे पहले अक्टुबर से। कैसे हो गया ये जब जमीन मिला ही नहीं, जब रजिस्ट्री होता है तब मालिकाना हक मिलेगा, एग्रीमेंट हुआ, लीज मिला, अनुबंध हुआ तभी तो मिलेगा, जमीन मिला ही नही और आपने चालु कर दिया अध्ययन, ये सब पर्यावरण विभाग की खामिया है इसको जांच करना चाहिये कंपनी की गलती नहीं है यह सब। आप लोगो को जांच करना चाहिये एक--एक चिजो का। आपने अध्ययन किया मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल ने आपको पत्र भेजा है की टी.ओ.आर. को सामिल करते हुये ई.आई.ए. बनाया गया है और ई.आई.ए. के जो प्रावधान है, नियम है उसका पालन करना होगा तब यह जनसुनवाई करवाये। क्या आपने अध्ययन कराया है! हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय ने भी जांच नहीं करवाया है, आपको अध्ययन कराना चाहिये था। इन्होने जो डाटाबेस दिया है क्या उसका जांच कराया हवा का, पानी का, जमीन का, भुजिगत जल का, ध्वनि का वो जो रिपोर्ट दिया आपने जांच कराया, नहीं कराया। ये सब होनी चाहिये हमारा यह मांग है। आपने 01 एकड़ जमीन दिया क्या 01 एकड़ जमीन में ग्रीन बेल्ट कितना रहेगा एक तिहाई उसके बाद प्लांट में रखेगा क्या। और जो वेस्ट आयेगा वेस्ट को भी रखना पड़ेगा कि आते ही मशीन में जलना चालु हो जायेगा। डिजल भी जलेगा, बिजली भी जलेगा उसका जो राख बनेगा वो कहा फेकेंगे उसकी

कोई व्यवस्था किया है क्या, कि उसको भी रायपुर में सप्लाई करेंगे सिंघल कंपनी जैसे ये सब करवा लीजिये उसके बाद ही यह प्लांट लगनी चाहिये और प्लांट लगेगा तो रायगढ़ जिले का उद्धार होगा यह हम भी मानते है, परन्तु अगर कबाड़ का काम करेगा वहा का रायगढ़ का तहसीलो का जो मेडिकल वेस्ट लाकर यहा के आदिवासी क्षेत्र में बिखेरेंगे, जंगल में फेकेंगे तो इस क्षेत्र के पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य का तो हो गया मुश्किल है। मैं झारखण्ड का दौरा में गया वहा एक चिलका के तीन पैर होते है कबुतर का भी और कौवे का भी, गाय का चार पैर के जगह पॉच पैर होता है, तीन पैर होता, ऑख एक होता है एक गायब रहता है तो प्रदूषण इतना खतरनाक है तो इसी तरह से मेडिकल वेस्ट का भी खतरनाक है हमारे साथी और बतायेंगे कि ऑपरेशन होता है तो कितना मलवा निकलता है, ट्यिुमर निकलता है वो कहा जायेगा वो कपड़े के साथ आयेगा उसको जलायेंगे तो ठीक है। केलो नदी का जीक्र ही नहीं है। केलो नदी को बतायेंगे की राबो को की कुरकेट नदी हो 07 किलोमीटर में। केलो नदी जहा प्लांट लगेगा वहा से मुश्किल में 01–1.5 किलोमीटर नीचे उतर जायेगा पानी। ये सब चिले नकली बनाते है जो ई.आई.ए. के कंशलटेंट है उन पर खीचाई करीये। ये सब टेबल में बैठ कर बनाते है और रायगढ़ जिला को मुर्ख समझते है ये सब कंशलटेंट। यह नहीं चलेगा। और उसके बाद भी अगर आप मंजुरी दे देते है तो उसके बाद भी निरीक्षण होगा उसके बाद भी हम आपत्ति कर सकते है इस कंपनी पर। इतना नाजुक विषय है, पर्यावरण का विषय तो है ही सामाजिक विषय है ये जो मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने का जो प्रक्रिया है वो इमानदारी से काम होगा तब यहा के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और नहीं तो वही हाल होगा जो अभी चलते आ रहा है। शासन को बोलिये ये डर नहीं चलेगा ये डर के खीलाफ आंदोलन भी होगा। 20 रूपये प्रतिबेड प्रतिदिन ये नहीं चलेगा, 06 रूपये रायपुर में है और जो प्राईवेट डिस्पेंशनरी है जिसके पास जिनके पास बेड नहीं है, बिस्तर नहीं है, खटिया नहीं है उनको 1000 रूपया महिना लगाईये जो रायपुर में है। मैं सिर्फ रायपुर का बोल रहा हूँ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ जो 2500 रूपया महिना। मैने अपना बात रख दिया है।

224. सत्रुघन -- मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

225. डॉ. पवन अग्रवाल, रायगढ़ -- हमारा यह मानना है कि ये जो कंपनी है व्ही.एम. टेक्नोलाजी और जो बायो मेडिकल वेस्ट की जो यूनिट लगा रही है। हम यह मशीन लगाने का विरोध नहीं कर रहे है, लेकिन ये जो मशीन लग रही है, यह जिस जगह पर लग रही है, जिस कंडिशन पर लग रही है, जिस नियम और कानुन के तहत् लग रही है उसका विरोध करते है। क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट इसका मतलब मानव शरीर के बहुत सारे मांस और बहुत सारी चिजे जो रायगढ़ में बड़े–बड़े हास्पिटल से यहा लाई जायेंगी वहा से सिर्फ इसलिये लेकर आ रहे है क्योंकि हमे पता है कि यह पर्यावरण के लिये शुद्ध नहीं है। उसका पब्लिक पर, लोगो पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिये इसका प्रापर उपचार होना जरूरी है और वो भी वहा से लाकर

यहा पर जहा सब तरफ गांव लगे हुये है इसका हम पुरी तरह से विरोध करते है। हम चाहते ये ये मशीन लगे, लोगो को फायदा हो और पर्यावरण ठीक रहे लेकिन गलत तरीके से लगेगा तो हम इसका पुरी तरह से विरोध करते है। हमारी केन्द्र की सरकार सस्ते में सुलभ इलाज कराने के लिये दे रही है और आप क्या कर रहे है तीन गुना रेट लगा दे रहे है क्या लोगो से पैसा लेकर आपको दिया जाये। तीन गुना रेट ज्यादा करने से किसके उपर भार पड़ेगा, कुल मिलाकर इलाज महंगा होगा। प्राईवेट हास्पिटल का, गवर्नमेंट हास्पिटल का इलाज महंगा होगा, कहा से आयेगा, गांव की जनता के उपर। इसके दुर्गामी परिणाम होंगे हम इस बात को कभी बर्दास्त नहीं करेंगे। एक तरफ हम पुरी कोशिस करते है कि लोगो को गांव के लोगो को यहा के कलेक्टर साहब भी बोलते है कि आप अपना रेट फिक्स रखीये सोनोग्राफी का इससे ज्यादा मत लीजिये, एक्सरा का इससे ज्यादा मत लीजिये ये क्या तरीका है। एक तरफ आप 06 रूपये की जगह 20 रूपये वशुल करते है और दुसरे तरफ कहते है कि हम सस्ते में इलाज करें यह संभव नहीं होगा। हम लोग इसका पुर्ण विरोध करते है और आंदोलन करना भी पड़ेगा तो हम इसके लिये बाध्य होंगे।

226. मनीराम – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
227. रंजीत, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
228. सालिकराम – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
229. कृपाराम, मिलुपारा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
230. मोहन, मिलुपारा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।
231. भारती, शिवपुरी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
232. प्रमिला – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
233. सकुंतला – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
234. दुरपति, शिवपुरी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
235. धनमती, शिवपुरी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
236. भुरी बाई, शिवपुरी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
237. तिलकमति, शिवपुरी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
238. रतन कुमारी, शिवपुरी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
239. संतोषी, शिवपुरी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
240. सविता रथ, जनचेतना मंच, रायगढ़ – ये जो कार्यपालिका सार आपने जो दिया है उकसे आधार पर मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड, कामन वायो मेडिकल ट्रीटमेंट फेसेलिटी जो पूंजीपथरा में लगने वाली है जिसके लिये हम और आप यहा आये हुये हैं उसके कुछ तकनीकी बिन्दुओं पर मैं अपनी बात रखुंगी कंपनी लबंबर अपने ई.आई.ए. पर देख लिजिये। यह जो व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड है

वह वास्तव में निर्देशक के एक मालिक हैं इसको कंट्रोल करने के लिये जो प्रस्तावित परियोजना गतिविधि के कारण जिस तरीके से पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन नहीं है। इस ई.आई.ए. को जिन्होने बनाया है उन्होने भी काफी हद तक जो यह ई.आई.ए. है जॉच करके रिसर्च नहीं हुआ है यह भी एक तरीके से कॉपी-पेस्ट है। यह जो कंपनी है ये ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 के तहत् इन्होने इसे बी श्रेणी कहा है। आपको बता दूं कि ये जो मेडिकल वेस्ट जो अस्पतालों से, दवाखानों से जो कचरा निकलता है उसके लिये इन्होने कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसेलिटी के उपचार की बात ये कंपनी कर रही है। हमारी रायगढ़ जिले के अंदर लंबे समय से बड़ी शिकायते है जितनी भी यहा जनसुनवाईया हुई स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दो पर खास करके कोरोना काल में जिस तरीके से डेटा आ रहे थे औद्योगिक क्षेत्रों में, खनन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पाये गये और हमारे पास वही डेटा है जो हास्पिटल तक पहुच पाये जो नहीं पहुंच पाये गांव में खतम हो गये उनके डेटा हमारे पास नहीं है और इसके बाद भी यह कंपनी आप लोगो ने सोचा है कि मेडिकल वेस्ट को सही तरीके से कैसे हम इसको उपचार करे, रायगढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्र में हम किस किसम से हम इन चिजो को लेकर चले इसके लिये आपने अगर प्लान किया है तो वास्तव में स्वागत योग्य आप लोगो का फैसला है। जहा इतने विकास हो रहे है, उद्योग लग रहे है, उन कंपनियों के कारण बिमारिया बढ़ी, बिमारिया बढ़ी हो हास्पिटल बढ़े, हास्पिटल बढ़े तो मेडिकल वेस्ट बढ़ा, मेडिकल वेस्ट बढ़े तो ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट को हमे बर्दास्त करना पड़ेगा, यह हमारी मजबुरी है। ये जो मेडिकल वेस्ट वाला है इसको केवल रायगढ़ के अंदर ना लगाया जाये, किसी बंजर जगह पर जो आबादी से बाहर हो। सोसल इंपेक्ट असिसमेंट जो इन्होने नहीं बनाया है, सामाजिक प्रभाव आंकलन तो सामाजिक प्रभाव आंकलन को अध्ययन करके इसमें जोड़ना चाहिये था। उनकी क्या स्थिति है स्वास्थ्य की, उनका क्या असर होगा भविष्य की बात है आगे चल कर आप इसकी जनसुनवाई करायेंगे इसकी विस्तार का इसमें कोई सक नहीं है। 01 एकड़ में यह प्लांट नहीं चलेगा 01 एकड़ में तो एक दिन का कचरा इकट्ठा नहीं होगा। हम यह सुनिश्चित करे कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि 1722 पेड़ इन्होने कहा है कि लगभग 84 स्वास्थ्य देखभाल हेतु एच.सी.एफ. सामिल है इन अपशिष्टों का प्रबंधन कैसे होगा। पुरे शहर का कचरा आप हमारे छाती में लाकर रख रहे है भोपाल से बड़ा दुर्घटना होने की संभावना है इस प्लांट। इसमें गैस उत्सर्जन की बात आती है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के बायो मेडिकल ट्रीटमेंट फेसिलिटी सर्विस के लिये जिस तरीके से हमारे पूंजीपथरा का नाम लिया गया है क्या कोई अध्ययन कर इनके बताये अनुसार कोई टीम जिला कलेक्टर के द्वारा गठित करके स्वतंत्र रूप से इनकी पूर्व में स्थापित कंपनियों में जाकर कोई रिपोर्ट आपको सौंपी है क्या इस जनसुनवाई से पहले। अगर नहीं की है तो जरूर देखना चाहिये कि इस कंपनी के काम करने के तरीके क्या है। कैसे ये 01 एकड़ जमीन में पुरी तरीके से हमारे मेडिकल वेस्ट को ये कन्ट्रोल कर लेंगे। जब हमारे पास छोटा-बड़ा करके रायगढ़

जिले के अंदर 365 केवल औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अलावा हमारे यहा 10 ऐसे कोयला खदान है जहा वर्तमान में आपरेशनल है तो हम उसको कैसे सुनिश्चित करे की आप मेडिकल वेस्ट जिस रास्ते से ट्रको में लेकर आयेंगे, जो पैकेजिंग करेंगे, उसमें कौन लोग सामिल होंगे, उनके प्रति क्या हमारे यहा मानवीय व्यवस्था किया है। इनका एक प्वाईंट देखा जाये तो जल, जंगल, जमीन एवं इसका रख–रखाव इन्होने लिखा है इन्होने बताया है कि प्रवाह दर प्रति इन्होने 4.5 किलोमीटर प्रतिदिन खर्च करेंगे ये पानी, कहा से लायेंगे इतना पानी, क्या ये भी अन्य उद्योगो की तरह हमारे भूगर्भ जल को जो सुप्रिम कोर्ट ने मना किया है कि आप केवल कृषि और पीने के लिये ये पानी का उपयोग करेंगे। आप इनको भी परमिशन दे रहे है भूगर्भ जल का उपयोग करने के लिये पानी के लिये। यह जो मेडिकल वेस्ट का प्लांट लग रहा है यहा लोग शिकायत करते रहते है कि यहा हेल्थ का प्राबलम है उसे यह मान्नीय नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल कोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे उपचार केन्द्र बने, हम भी चाहते है कि बने लेकिन किन शर्तो में, किस हालात में और कहा बने है क्या सारे विकास रायगढ़ जिले के पूंजीपथरा में ही होना है। आदरणीय सारंगढ़ एक ऐसा है जहा सारे जमीन बंजर है और चट्टाने है अगर आप अपने राजस्व विभाग को पुछे तो इसको एक के बजाय 10 एकड़ इनको फ्री में दे दीजिये। ऐसे–ऐसे चट्टान है जहा घास नहीं उगता। आप मेडिकल वेस्ट को क्यों नहीं, क्यों अच्छे से, क्यों केलो नदी बह रहा है सारे वेस्ट बहते–बहते आज वह जीवन दायिनी है, केलो डेम है, हमारे अठ्ठारह नाले है उन अठ्ठारह नालो से बहते हुये ये जो पानी आयेगी और जा कर केलो डेम में रहेगी और उस पानी को ट्रीटमेंट करके हमें ही रायगढ़ वालों को पीलायेंगे तो इससे भूत, भविष्य और वर्तमान स्थिति में चाहे इसी प्लांट की हम बात नहीं कर रहे है किसी भी प्लांट के स्थापना की बात है या विस्तार की बात है तो उनके पूर्व के त्रुटियों के उपर जॉच रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट जब तक सबमिट ना हो ऐसे चिजो को थोड़ा बचना चाहिये उन्होने कहा है कि पेय जल और उसका रख–रखाव, स्कूल का डीजिटलकरण, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर ये सब करेंगे अपने सी.एस.आर. में ये बोल रहे है कि रायगढ़ जिले को सी.एस.आर. देंगे। ये लिखते है कि प्रतिदिन अपशिष्ट तेल केवल 10 किलोग्राम निकलेगा वो तेल का क्या उपयोग करेंगे आप, अपशिष्ट तेल जो मेडिकल से निकलेगा उस तेल का आप कहा पर खर्च करेंगे। ये स्पष्ट नहीं है। आप बोल रहे है कि बैक्टिरिया जितना भी उत्पन्न हुआ है कितना उत्पन्न हुआ है उसको कैसे साफ करेंगे। इसके अलावा सालिड खतरनाक अपशिष्ट निपटान बोल रहे है कि ये लैंड फिलिंग के लिये करेंगे कहा का लैंड फिलिंग का है, कोयला खदानों में तो लैंड फिलिंग तो करनी नहीं है, ना ही टिमरलगा–गुडेली के क्षेत्र में आप वहा करेंगे तो हमारा महानदी बेसिन है वह हमारा नाला नाला यहा के सारा जहरीला पदार्थ है जो पेयजल और खाद्य सुरक्षा श्रृखला में जो जल है उस पर व्यापक पैमाने पर असर हो सकता है। तो इसको क्या आपने टेंडर के रुप में रोज का 10 लीटर मतलब 01 महिने का कितना हुआ और 01 साल का कितना हुआ इसका मैथमेटिक्स में क्यों आप लोग डाटा करके हिसाब नहीं

कर रहे है कि ये तेल का उपयोग आप कहा करेंगे। इनका कहाना है कि ये जो संस्था एग्रो इनवारोटेक इंडिया प्राईवेंट लिमिटेड ने ये जो बनाया है ये टीम कब–कब आति है मै हैरान हूँ ना कि जिला प्रशासन को मालुम है, ना स्थानिय प्रभावितों को मालुम है ये कब बन जाती है यहा जितनी भी कंपनिया है उससे बेहतर ई.आई.ए. और एस.आई.ए. नहीं बना सकते ये मेरा चैलेंज है। यहा के स्थानिय लोगो को नहीं मालुम, आप यहा पर कोई रिसर्च नहीं किये है, कोई अध्ययन नहीं किये है किसी भी किसम का प्रशिक्षण नहीं है, किसी भी किसम का आप महिलाओं के हितों में क्या होगा, क्या होगा एक गर्भवति महिला के उपर असर इस कंपनी का, इस मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट अगर आप लगायेंगे तो एक गर्भवति महिला का जिसका तीन महिने का पेट में बच्चा है और अगर वह आंगनबाड़ी में पंजीयन कराने आति है उसके उपर क्या असर होगा। वो बच्चा जन्म लेगा तो उसके उपर क्या असर होगा। और यहा जो आंगनबाड़ी है, स्कूल है, कॉलेज है, थाना है, जो गवर्नमेंट के जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है उन पर क्या–क्या असर होगा उनके स्वास्थ्य संबंधि ऐसी कोई हेल्थ सिविर या जॉच हुआ है क्या। मेडिकल वेस्ट जैसी चिजो के लिये ऐसे जनसुनवाई का आयोजन करना और बिना ई.आई.आई. में उनके एस.आई.ए. लगाये बिना यह काफी दिक्कत वाली बात हो जाती है कि लोग आपके पास क्या बोलने के लिये आये कि मेरा नाम यह है मैं विरोध कर रही हूँ, समर्थन करते है तो क्यों समर्थन और विरोध। ये ठोस अपशिष्ट चुने में प्रभावित करेंगे, आपको मालुम है कि कोई भी चुना उसमें पाउडर होता है आपको पत्थर चुना ने सिलिकोसिस बिमारी दिया, अन्य बिमारी प्रेम से उद्योगपति दे रहे है जिसमें जिला प्रशासन और जो अन्य जिम्मेदार व्यक्ति है। इसके बावजुद आप मेडिकल चिजो का अगर चुरा बनायेंगे तो उसका जो हवा आयेगा कितना रेडियस तक असर करेगा, कितने गांव तक ये ई. आई.ए. पहुची, कितने लोग आज इसमें मत–अभिमत कर रहे है, कितने ग्रामसभाओं से इसकी अनुमति मिली है। यही आपको बता दूं कि किटाणु रहित रबर, लेटेस्ट, ग्रास और धातु और अलग–अलग तरह की सामाग्री के लिये किटाणु चिकित्सा, खाद्य अपशिष्ट जो ये कर रहे है उसमें काफी स्पष्टता नहीं है इसके बावजुद ऐसे उद्योगो को कहा पर सरकार स्थापित करेगी। मैं यकिन के साथ कह सकती हूँ कि आप हमारे सामुदायिक जंगलो में नहीं करेंगे जैसे फ्लाई ऐश का आप के पास जितने भी उद्योग को आपने किया है उतना फ्लाई ऐश को लेकर आप कोई व्यवस्था नहीं किये है। मिट्टी की गुणवत्ता, स्वाईल की गुणवत्ता लिखा है ये जो प्रस्तावित तरीके है सामान्य व्यक्ति भी समझ नहीं पा सकता है। माननीय एन.जी.टी. का आदेश है और आदेश का पालन करते हुये मेडिकल वेस्ट की बात कर रहे है हम इसका स्वागत कर रहे है ऐसे उद्योगो का लेकिन उन शर्तों में जिन शर्तों के साथ यहा का स्थानिय व्यक्ति और महिलाओं पर गलत असर ना हो, आदिवासियों पर गलत असर ना हो, बच्चो पर ना हो इसके अलावा जानवरों पर गलत असर ना हो पता चला मेरे यहा का हाथी बिना सुड़ के पैदा होना शुरु हो गया तो ऐसे विकास का क्या फायदा। तो ऐसे चिजो को अगर ऐसे डैमेज करेंगे प्रदुषण मॅनेजिंग, कहा तक करेंगे, आपकी कैपेसिटी कितनी है तो

क्या हम इसको और बेहतर कर पायेंगे। इसमें ऐ व्यापक पैमाने पर स्वतंत्र रिपोर्ट और जॉच हर तीन महिने में करना चाहिये जिमें आपके स्वास्थ्य विभाग के लोग हो, कलेक्टर हो, स्थानिय व्यक्ति हो जो प्रभावित व्यक्ति हो उन लोगो की एक निगरानी कमेटी की जरूरत है। हालांकि ये उद्योग स्थापित होना चाहिये, कहा होना चाहिये यह रायगढ़ के भौगोलिक स्थिति में उस जगर स्थापित कीजिये जहा पर नदिया ना बहती हो, जहां खेत ना हो, जहा हरे-भरे जंगल ना हो, जहा वन्य पशु विचरण ना करते हो, जहा पर भोले-भाले व्यक्ति, स्कूल आदि ना हो एक चट्टान क्षेत्र में अपने राजस्व के लोगो को बुलाईये, मीटिंग कीजिये और उस जगह में स्थापित कीजिय। इन तमाम चिजो को बोलते हुये मैं अपनी बात मौखिक रूप में इस प्लांट को जिले के अंदर स्वागत करती हूँ, लेकिन शर्तो के अनुसार लगे, छत्तीसगढ़ में एक ही समान रेट हो, रायगढ़ में बल्कि छुट मिलनी चाहिये

241. डॉ. जी.एस. अग्रवाल, रायगढ़ – मुझे बोला गया है कि मैं पुरे स्टेट बाडी की तरफ से अपनी बात रखू। ये बायोमेटिकल वेस्ट के डिलिंग के लिये व्ही.एस. टेक्नो-सॉफ्ट को दिया गया है। हम इसका विरोध करते है क्योंकि इस कंपनी को कोई एक्सप्रियेंस नहीं है कि किस तरह से बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने का, इनके टेंडर को खत्म किया जाये। और यह बहुत ज्यादा चार्ज लेने की कोशिस कर रहे है। ये हम लोगो से इतना चार्ज क्यों कर रहे है। ये पूंजीपथरा में ही क्यों लग रहा है

242. राधे श्याम शर्मा, रायगढ़ – आज यह जनसुनवाई मेडिकल वेस्ट को उसको डिस्पोज करने के लिये यह कंपनी आ रही है। आश्चर्य है आजादी के पश्चात छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में किसी भी पार्टी के सरकार को यह नहीं सुझा की हास्पिटल खोलने के साथ-साथ क्या-क्या जरूरी है चाहे वह शासकीय हो या गैरशासकीय हो ऐसा क्यों, तो क्या अब तब की जो सत्ता बनी थी उसमें बैठने वाले सब मुर्ख थे या सचेत नहीं थे स्वास्थ्य के प्रति और आज ये जो प्रक्रिया चल रही है छत्तीसगढ़ में तो इसको मै जागरूकता कहु या व्यापार कहूँ। अगर ये जो मेडिकल वेस्ट कचरा है इसके अपशिष्टों का जो भी प्रक्रिया से जो भी समाधान करना है वो अचानक इस प्रक्रिया में क्यों सुरू हुआ कि निजी कंपनी आकर आवेदन करेगी और पुरे प्रदेश में एक ही निजी कंपनी चलायेगी। जगदलपुर में यही कंपनी अपना कार्य कर रही है, कोरबा में भी और अंबिकापुर में भी मेरे ख्याल से पुरे छत्तीसगढ़ में जिसको किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं है वो अपने काम को गति दे रही है तो ये निश्चित मानिये की ये व्यापार है। अगर वे इतने संवेदनशील हैं, स्वास्थ्य मंत्री इतने संवेदनशील है तो हास्पिटल खुलने से पहले ऐसा नहीं कि गाईडलाईन नहीं बना है भारत में। स्वास्थ्य की दिशा में जो गाईडलाईन बना हुआ है उसमें निजी और शासकीय चिकित्सालय जब भी खुलता है उसके प्रबंधन के लिये व्यवस्था दी गई है। लेकिन आजादी के इतने वर्षो में मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ में आज जो पुरेश बघेल जागृत हो रहे है सामने कोई और है और काम किसी और का। मैं आज उपस्थित सभी डॉक्टरों का सह-सह अभिनंदन करता हूँ जो आज यहा पर उपस्थित है,

उनकी जागरूकता आज देखने को मिली मैं उनसे यह भी निवेदन करता हूँ कि आज सिर्फ मेडिकल वेस्ट की बात हुई जिसमें उनको ज्यादा रेट देना पड़ रहा है क्या इसलिये आये है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिला अब भी प्रदूषित क्षेत्र में है। यहा अग्रवाल साहब ने कहा कि मैं इसका मुखिया हूँ इसलिये मैं यहा पर आया हूँ ऐसा क्यों नहीं हुआ कि स्वास्थ्य जगत को जानने वाले लोग उनकी कभी आपत्ति नहीं आति अगर उनकी सब की आपत्ति आ जाती यहा कोई इण्डस्ट्री नही डल सकता। यहा प्रदूषण की मात्रा इतनी ज्यादा हो चुकि है कि यहा और कोई इण्डस्ट्री नहीं आ सकती। ये मेडिकल वेस्ट है जरूरी है तो सरकार क्यों नहीं चलाती इसको एक निजी कंपनी को क्यों दे रही है। ये कंपनी और इसकी कंशलटेंट कंपनी जिन्होने ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया है वो एक नंबर का फर्जी है। मैं मान्नीय पर्यावरण अधिकारी से पुछना चाहुंगा कि इन्होने जहां-जहां से टेस्टिंग के लिये सैम्पल लिये है क्या उसका परिमाण उस कंपनी के पास है या आपके पास है। अगर आप कह दे तो मैं इनका समर्थन करके जाउंगा। पीठ़ासीन अधिकारी को मालुम है कि ये जनसुनवाई फर्जी ई.आई.ए. रिपोर्ट के आधार पर हो रही है। आपकी ऐसी क्या मजबुरी है कि आप यहा जनसुनवाई करवा रहे है किसके दबाव में है। आप प्रशासनिक पदो पर, न्यायिक पदो पर लोग संविधान का उल्लंघन करके जनता के उपर अत्याचार कर रहे है। मैं पीठासीन अधिकारी से निवेदन करता हूँ कि इस कंपनी के उपर और कंपनी कंशलटेंट के उपर एफ.आई.आर. दर्ज करवाये या मान्नीय पर्यावरण अधिकारी बता दे की इस गांव का पंचनामा लिया है इनके मालिक आये थे मेरे घर हमारे कुछ साथी के साथ। मैंने कहा आपकी ई.आई.ए. रिपोर्ट फाल्स है। मैं 02 जनसुनवाईयों से वंचित हो गया, कहा गया कि आप लेट हो गये, मुझे मेरे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यहा शासन-प्रशासन मौन है, पुलिस प्रशासन मौन है तो मैं व्यक्तिगत आपका वो विरोध करूंगा जिसे आप बाद में समझेंगे की मैंने क्या किया। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। इतनी मनमानी कर रहे है कि मौन होकर बैठ जा रहे है। आप जागरूक होइये यहा उपस्थित सभी चिकित्सा जगत के डॉक्टरों से मैं निवेदन करूंगा कि ये जनसुनवाई एकदम फाल्स ई.आई.ए. रिपोर्ट के तहत् हो रही है। मैं इस जनसुनवाई के पश्चात पूंजीपथरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे साथ चले अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाये ना यहा के ग्रामसभा का अनुमति है ना जनपद पंचायत का एन.ओ.सी. है, ना यहा जिला पंचायत का एन.ओ.सी. है किसके आधार पर आप करवा रहे है। इस जनसुनवाई की प्रक्रिया को यही पर विराम दे। रायगढ़ जिले में क्या होना चाहिये हमको कुछ पता नहीं है कि प्रदूषण की क्या स्थिति है ई.आई.ए. रिपोर्ट बनते चले आ रहे है फाल्स डाटा कंपनी जो दे रही है, कंसलटेंट कंपनिया जो दे रही है उस पर जनसुनवाई हो रहा है. पुरी प्रक्रिया हो रही है और पैसा लेकर क्लियरेंस दे रहे है। जनता को अपनी जान बचानी है तो आदिवासी भाई लोग और ग्रामीण जनता लोग टंगी हाथ में लो, तीर-धनुष अपनी हाथ में लो अपनी रक्षा के लिये, मारे जाओगे सब के सब उस समय कोई नहीं बचा पायेगा आपको। छत्तीसगढ़ में कहीं भी

इण्डस्ट्री डलती है तो एक कमेटी हो जो जनता की, जन प्रतिनिधियों की, प्रशासनिक अधिकारी की और उस कंसलटेंट कंपनी की उन सब के बीच में उसका एकदम निष्पक्ष, जमीनी स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मूल्यांकन होना चाहिये। पर्यावरण मंत्रालय उद्योगपतियों का है। इस देश में 99 प्रतिशत न्यायाधिस मौन बैठे है, ये सारे न्यायाधिश मौन क्यों बैठे है, क्या इनके बच्चे कुपोषित नहीं हो रहे है। आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है। जनता अगर एक साथ खड़ी हो जायेगी आप यहा से मंच छोड़ कर भगेंगे। आज इस क्षेत्र में इतनी जागरूकता नहीं आई है। जनता एक बोतल दारू और मुर्गा में समर्थन देते है। लोग आज पत्थर नहीं उठा पाते है अपनी जान की रक्षा के लिये। क्या हम लोग निर्जिव है, हम लोगो को जीने का अधिकार नहीं है। आज इस क्षेत्र की जनता जागरूक हो गई तो आपके हाथ में हथकड़ी होगी। कंसलटेंट यहा आये है तो किस जगह से सैम्पल लिये है बता दे, वहा का पंचनामा बता दे। इस कंपनी का 100 प्रतिशत मेरा विरोध है मेडिकल वेस्ट के लिये जितना सरकार को करना चाहिये। 1200 डॉक्टर कोविड में मरे है। मेडिकल जैसे चिजो के अपशिष्ट के लिये जो मानक मापदण्ड है कि कहा रखना चाहिये, कैसे रखना चाहिये और अगर रिहायसी क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में ये दिया गया है तो कानुन को बदलने की जरूरत है उसमें संशोधन की जरूरत है कि ये ऐसे क्षेत्र में ना लगे, निर्जन क्षेत्रों में लगे और वो सिर्फ गवर्नमेंट का हो, किसी निजी कंपनी का ना हो। इस कंपनी का विरोध है मैं ग्रामीण लोगो के साथ फिर से प्रार्थना करूंगा कि मैं पूंजीपथरा थाना जा रहा हूँ अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने अगर 15 दिवस के अंदर उस पर विवेचना नहीं हुई गिरफतारिया नहीं हुई तो मैं मान्नीय न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर करूंगा।

243. सुनिता, तराईमाल -- मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो-सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
244. रूकमणी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो-सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूं।
245. मैती देवी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो--सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूं।
246. रेणु -- मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो-सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
247. कविता नायडु, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो-सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
248. सुनिता, तराईमाल -- मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो-सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
249. ज्ञानो देवी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो--सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करती हूँ।
250. विनायक पटनायक रायगढ़ – मैं इस मेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध करता हूं। और विरोध इन कारणों से करता हूं कि यहा पीठासिन अधिकारी बैठे है, यहा पर्यावरण अधिकारी बैठे है मुझे लगता है कि उनकी मानवीय संवेदना समाप्त हो चुकी है। लगातार जिस तरीके से इस दो महिने के अंदर में 04–05 जनसुनवाई का आयोजन करता है कि आप लोगो की मानवीय संवेदना समाप्त हो चुकी है जिस प्रकार से अपने तमनार क्षेत्र में चर्म रोग की बिमारी बढ़ी है किसी प्रकार के डॉक्टर की व्यवस्था नहीं की गई है। आपसे आग्रह या पीठासीन अधिकारी जी से अनुरोध किया जाए कि जिस प्रकार से पर्यावरण से प्रदूषण से

अपने इस तमनार क्षेत्र में चर्म रोग और दमा की बिमारी बढ़ी है उसकी आप चिंता करे और इन उद्योगो का आदेश करे। सम्मानीय पीठासीन अधिकारी एवं पर्यावरण अधिकारी से पुनः आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोगो के द्वारा निरंत इस तमनार क्षेत्र में पर्यावरण का इतना दोहन और इतना प्रदूषित कर दिये है कि यहा का जन जीवन अस्त–व्यस्त हो चुका है। यह जो मेडिकल वेस्ट प्लांट लगने का है वही सामारूमा, तराईमाल, तुमीडीह, पूंजीपथरा एकदम ग्रामीणों की बीच यह प्लांट लगना है या इसका आवेदन करना पुर्णतः गलत है मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस जनसुनवाई को निरस्त करते हुये इस प्लांट को रायगढ़ जिले के दूसरे जगह पर जहा पर मानव समाज और आबादी ना रहती हो मैं चाहता हूँ कि इसे निरस्त किया जाये। मैं इसका विरोध करता हूँ।

251. रामचरण – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

252. रूपचंद गुप्ता, तमनार – बायोमेडिकल कंपनी का विरोध करता हूँ।

253. तन्मय बैनर्जी, रायगढ़ – आई.एम. रायगढ़ जिस तरीके से विरोध कर रहा है हम उनसे ज्यादा नहीं समझ सकते। इसमें सोशल इम्पेक्ट असिसमेंट नहीं है। बायो मेडिकल वेस्टेज में ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है। यहा से निकलने वाले राख आदि चिजे इन्वायरमेंट और ह्यूमेंन बाडी पर पड़ेगा। ये सिंग गैसक्या होती है इनको नहीं पता है मैं साईस का स्टूडेंट हूँ मुझे पता है। इन्वायरमेंट और ह्यूमेन बाडी पर पड़ेगा इसको ई.आई.ए. मे नहीं लिखा हैं कचरे को छोटे–छोटे टुकड़े में काटा जावेगा और इसे चुरक के रूप में उपयोग किया जावेगा इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा इसका जिंदगी से सवाल है। आटोक्लेव एक रोटेशन चेंबर होता है और कुछ नही। प्रस्तावित परियोजना में आप लिखते है कि यहा कोई वनस्पति नहीं है, कोई जंगल नहीं है, जैविक संशाधन नहीं हैं यहा ई.आई.ए को सिंपल किया जा सकता है क्या। आप एक तरफ लिख रहे है कि यहा कोई वनस्पति नहीं है और दूसरी तरफ लिखते है कि यहा वनस्पतियां हैं। आप लिखते है कि यहा खतरनाक हो सकता है। बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट है इससे बायो के लोगो को रोजगार मिलेगा लेकिन यह नहीं लिख है कि ये रोजगार कहा के लोगो को देंगे।

254. बलराम सिंह, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

255. लक्ष्मी, शिवपुरी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

256. सामारूना, शिवपुरी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

257. पिटबूराम, तराइमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

258. छोटू, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

259. कपिल, शिवपुरी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

260. जतिन, तमनार – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

261. संतोष, कचलोरा – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

262. केशव, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

263. संजय – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

264. गोपाल, बासनपाली – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

265. पित्रु, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

266. चमार सिंह, शिवपुरी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

267. इतवारू – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

268. कैलाश – मैं इस कंपनी का विरोध करता हूँ क्योंकि यह आबादी वाले क्षेत्र में लग रही है।

269. पंचराम मालाकार, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

270. शिव, शिवपुरी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

271. भगतराम, शिवपुरी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

272. दुर्गाराम, शिवपुरी – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

273. रामनाथ, तमनार – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

274. सुदामा, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

275. चंद्रशेखर, सराईपाली – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

276. बंशीधर, सराईपाली – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

277. महेश भोय, सराईपाली – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ। इस क्षेत्र को इंडस्ट्रीयल पार्क कहा जाता है इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, रोड खस्ता हो चुका है मैं विरोध करता हूँ।

278. मुरली, सराईपाली – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

279. मनी, सराईपाली – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

280. अभिमन्यु, सराईपाली – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

281. सुरेश, सराईपाली – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

282. मदन, सराईपाली – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

283. तुलाराम, सराईपाली – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

284. लक्ष्मी, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

285. गंगाधर – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

286. विवेक, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

287. राघव, तराईमाल – मेसर्स व्ही.एम. टेक्नो–सॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड का विरोध करता हूँ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि यदि कोई ग्रामीणजन, आस–पास के प्रभावित लोग अपना पक्ष रखने में छूट गये हो तो मंच के पास आ जाये। जनसुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने पुनः कहा कि कोई गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधी छूट गये हो तो वो आ जाये। इस जन सुनवाई के दौरान परियोजना के संबंध में बहुत सारे सुझाव, विचार, आपत्ति लिखित एवं मौखिक में आये है जिसके अभिलेखन की कार्यवाही की गई है। इसके बाद 3:30 बजें कंपनी के प्रतिनिधि/पर्यावरण कंसलटेंट को जनता द्वारा उठाये गये ज्वलंत मुद्दो तथा अन्य तथ्यों पर कंडिकावार तथ्यात्मक जानकारी/स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया।

कंपनी कंसलटेंट श्री विपिन मलिक द्वारा बताया गया कि मैक्सीमम जो क्वारी आई है वह प्रदूषण से संबंधित है। इसमें हम इंसिनिरेटर लगायेंगे वाटर को कंट्रोल करने के लिये ई.टी.पी. लगायेंगे। जो हमको जमीन दी गई है वो एलिफेंट कारीडोर के बाहर है जो शासन ने हमे बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट लगाने के लिये दी गई है। इस प्रोजेक्ट में जो इंसिनिरेटर लग रहा है वह बिजली से चलता है जिससे प्रदूषण नहीं होगा गैस निर्धारित मानक के अनुरूप रखा जावेगा। हमारे प्लांट में 25 लोगो को स्थानिय लोगो को रोजगार मिलेगा जो छत्तीसगढ़ के ही होंगे। हमारे द्वारा कचरा लाने के लिये 01 टन गाड़ी की आवश्यकता होगी जो कि 04–05 गाड़ी ही होगी। हमारी जो गाड़ी है 01 टन की होगी जिससे सड़क खराब नहीं होगी। लोकल लोगो का काम में रखा जावेगा। ई. आई.ए. रिपोर्ट गाईडलाइन के अनुसार रखा गया है। प्लांट लगाने से पहले अग्रिम ही अनुमति दे दिया गया था। प्रक्रिया पुरी होने पर ही प्लांट चालु किया जावेगा। यलो कैटेगिरी को इंडक्शन प्लाज्मा से जगाया जायेगा जिससे 150–200 टन ही राख निकलेगा जो बहुत कम है जिसको ट्रांसपोर्ट करके भेजा जायेगा। पहले कचरे को आटोक्लेव किया जावेगा उसके बाद शेडर किया जावेगा। हमारे द्वारा ग्राउण्ड वाटर 5 कि.ली.प्रतिदिन पानी यूज किया जावेगा हमारे कंपनी से किसी भी प्रकार का दूषित जल बाहर नहीं निकलेगा। रेट का निर्धारण बिलासपुर द्वारा किया गया है इसके संबंध में शिकायत करके निराकरण करवा सकते है।

सुनवाई के दौरान 136 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये तथा पूर्व में निरंक प्राप्त हुये है। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई। लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात सायं 3:15 बजे धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोकसुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

11/08/21

(एस.के. वर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

(आर.के. कटारा)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)